लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

SATYARTHI

KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

परिचय

प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रम सेक्सुअल ओफ़ेन्सिस एक्ट का संक्षिप्त रूप'पोक्सो' है| **18** साल से कम उम्र के किसी बच्चे (चाहे लड़का हो या लड़की), के साथ यौन अपराध हुआ या करने का प्रयास किया गया, तो ऐसे मामले पोक्सो कानून के अंतर्गत आते हैं| यह कानून बच्चों को लैंगिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील चित्र व साहित्य के इस्तेमाल जैसे अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है| ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है| इस अधिनियम को **2019** में संशोधित किया गया, जो **16** अगस्त **2019** से प्रभावी हुआ|

इस अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं:

- 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को इसमें शामिल किया गया है
- यह लिंग निरपेक्ष अधिनियम (जेंडर न्यूट्रल एक्ट) है
- बच्चों के सर्वोत्तम हित को देखते हुए अपराध की रिपोर्टिंग, साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग और शीघ्र परीक्षण (ट्रायल) हेतु *बाल मित्र प्रक्रियाएं* प्रदान करता है
- प्रवेशन लैंगिक हमला (पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट), गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला (एग्रेवेटिड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट), लैंगिक हमला (सेक्सुअल असाल्ट), गुरुतर लैंगिक हमला (एग्रेवेटिड सेक्सुअल असाल्ट) के मामलों में सबूत का भार आरोपी पर है
- बाल यौन शोषण के मामलों की रिपोर्ट करना अनिवार्य है

शिकायत किससे और कहाँ करें (मामलों की रिपोर्टिंग करने के लिए प्रक्रिया)

1. अपराधों की रिपोर्ट करना
    - कोई व्यक्ति, जिसमें बालक भी शामिल है, जिसे यह आशंका है कि कोई अपराध किए जाने की संभावना है या यह जानकारी रखता है कि ऐसा कोई अपराध किया गया है, तो वह ऐसी जानकारी निम्नलिखित को उपलब्ध कराएगा -
        i. प्रत्येक थाने पर नियुक्त विशेष किशोर पुलिस यूनिट से
        ii. स्थानीय पुलिस

टोल फ्री नंबर 1098 या 100

इस तरह के किसी अपराध की रिपोर्टिंग न करने पर या झूठी शिकायत करने पर सज़ा का प्रावधान है|

प्रत्येक रिपोर्ट में –

i. रिपोर्ट (शिकायत) लिखित रूप में दर्ज की जाएगी

ii. रिपोर्ट दर्ज करने वाले व्यक्ति को रिपोर्ट पढ़कर सुनाई जाएगी

iii. पुलिस इकाई द्वारा रखी जाने वाली पुस्तिका में रिपोर्ट की प्रविष्टि की जाएगी

2. यदि यह रिपोर्ट एक बच्चे द्वारा दी गई है, तो उसे सरल भाषा में दर्ज किया जाएगा, जिससे रिपोर्ट की सामग्री बच्चा समझ सके| यदि मामला उस भाषा में दर्ज किया गया है, जिसे बच्चा नहीं समझ सकता, तो बच्चे को एक अनुवादक या दुभाषिया उपलब्ध कराया जाएगा

3. जहां विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस को यह विश्वास हो जाता है कि वह बालक, इसके विरुद्ध अपराध किया गया है, उसे देख-रेख और संरक्षण की आवश्यकता है, तब लिखित रूप में कारणों को रिकॉर्ड करने के बाद, रिपोर्ट के चौबीस घंटे के भीतर पुलिस द्वारा उसे देख-रेख और संरक्षण (जिसके अंतर्गत बालक को संरक्षण गृह या निकटतम अस्पताल में भर्ती किया जाना भी है) देने की व्यवस्था की जाएगी|

4. विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस बिना देर किए चौबीस घंटे के भीतर पोक्सो के मामले को बाल कल्याण समिति और विशेष न्यायालय या जहां कहीं विशेष न्यायालय नामित नहीं किया गया है, वहाँ सत्र न्यायालय को रिपोर्ट करेगी

5. कोई भी व्यक्ति, जो किसी अपराध के बारे में किसी सद्भावना से जांनकारी देता है, उस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी

पोक्सो के तहत दंड क्या है?

(संशोधित)

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 {प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट} 2012 में संशोधन कर चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी की परिभाषा का विस्तार किया गया है, जो पोक्सो अधिनियम, 2012 में नहीं था| चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी की नई परिभाषा में लिखा गया है, "बाल पोर्नोग्राफ़ी यौन स्पष्ट आचरण के किसी भी दृश्य चित्रण के रूप में परिभाषित है, जिसमें एक वास्तविक बच्चे की तस्वीर, विडियो, डिजिटल या कम्प्यूटर जनित छवि शामिल है| (धारा 2, उप खंड 1, खंड द)

अपराध और दंड के प्रावधान

अपराध	दंड
धारा 3 **प्रवेशन लैंगिक हमला (पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट)** एक व्यक्ति जब – 1) किसी सीमा तक बच्चे की योनि, मुँह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग प्रवेश करता है या बच्चे को उसके साथ या अन्य किसी व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या 2) किसी सीमा तक बच्चे की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा (वेजाइना, पेनिस, एनस) में कोई वस्तु या शरीर का अंग, जो लिंग नहीं हो, प्रवेश करता है या बच्चे को उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है; या 3) बच्चे के शरीर के किसी अंग को इस तरह से काम में लेता है, जिससे कि बच्चे की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी भी भाग में प्रवेश कर सके या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या 4) वह बच्चे के लिंग, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर अपने मुँह को लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बच्चे से ऐसा कराता है तो ऐसा व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला (पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट) करता है|	**धारा 4** 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा और जुर्माना (यदि बालक की अवस्था 16 वर्ष से कम है, तो कठोर कारावास, जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, जिससे उस व्यक्ति का शेष जीवन कारावास में बीतेगा और जुर्माना|)
धारा 5 **उत्तेजित (गुरुतर) प्रवेशन लैंगिक हमला (एग्रेवेटिड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट)** बच्चे के संरक्षण एवं देखभाल के लिए जिम्मेदार परिवार के व्यक्ति, पुलिस अधिकारी, सीमा सुरक्षा बल (सशस्त्र सेनाओं के सदस्य), डॉक्टर, अध्यापक, लोक सेवक या बाल गृह के कर्मचारी बच्चे पर प्रवेशन लैंगिक हमले का अपराध करते हैं, तो उन परिस्थितियों में यह अपराध 'गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले' की श्रेणी में आता है| इसमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जहां अपराधी बच्चे का संबंधी हो, या हमले से बच्चे के यौन अंग (सेक्सुअल ऑर्गेन्स) घायल हो जाएं या बच्ची गर्भवती हो जाए, इत्यादि। गंभीर प्रवेशन यौन हमला की परिभाषा में दो आधार और हैं- (i) हमले के कारण बच्चे की मौत, और (ii) प्राकृतिक आपदा के दौरान किया गया हमला।	**धारा 6** कठोर कारावास, जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, जिससे उस व्यक्ति का शेष जीवन कारावास में बीतेगा और जुर्माना या मृत्युदंड| (इस तरह का जुर्माना केवल तब उचित और न्यायसंगत होगा, जब उस जुर्माने की राशि पीड़ित के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए उपयोग में आएगी|)

धारा 7 **लैंगिक हमला (सेक्सुअल असाल्ट)** जो कोई, लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन का स्पर्श कराता है या लैंगिक आशय से ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क होता है, तो वह लैंगिक हमला करता है|	**धारा 8** 3 साल से लेकर 5 साल तक की सजा और जुर्माना
धारा 9 **गुरुतर लैंगिक हमला (एग्रेवेटिड सेक्सुअल असाल्ट)** लैंगिक हमले का अपराध उन परिस्थितियों में 'गुरुतर लैंगिक हमले' की श्रेणी में आता है, जब अधिक तीव्रता से और कुछ निर्दिष्ट स्थितियों के तहत किया जाता है| इस अपराध के तहत 'यौन हमले' में वे कार्य शामिल हैं, जिनमें कोई व्यक्ति प्रवेश के बिना किसी बच्चे के वेजाइना, पेनिस, एनस या ब्रेस्ट को छूता है। 'गंभीर यौन हमले' में ऐसे मामले भी शामिल हैं, जिनमें अपराधी बच्चे का संबंधी होता है या जिनमें बच्चे के यौन अंग (सेक्सुअल ऑर्गेन्स) घायल हो जाते हैं, इत्यादि। गंभीर यौन हमले की परिभाषा में दो आधार और हैं- (i) प्राकृतिक आपदा के दौरान किया गया हमला, और (ii) जल्दी यौन परिपक्वता लाने के लिए बच्चे को हारमोन या कोई दूसरा रासायनिक पदार्थ देना या दिलवाना।	**धारा 10** 5 साल से लेकर 7 साल तक की सजा और जुर्माना -
धारा 11 **लैंगिक उत्पीड़न (सेक्सुअल हैरसमेंट)** जब कोई यौन आशय से – 1) कोई शब्द/आवाज/संकेत करता है या कोई ऐसी वस्तु या शरीर का अंग प्रदर्शन करता है 2) बच्चे से उसका शरीर या उसके शरीर के किसी अंग को दिखाने को कहता है 3) अश्लील लेखन के प्रयोजनों के लिए किसी रूप में या मीडिया में बच्चे को कोई वस्तु दिखाता है 4) या तो सीधे ही या इलेक्ट्रोनिक, डिजीटल या किसी अन्य तरीके के जरिये बच्चे का बार-बार या लगातार पीछा करता है या देखता है या संपर्क करता है 5) मीडिया के किसी भी रूप में, यौन कार्य में बच्चे के शरीर के किसी अंगया बच्चे की अलिप्तता को इलेक्ट्रोनिक, फिल्म या डिजीटल या किसी अन्य तरीके के जरिये वास्तविक या काल्पनिक चित्रण का उपयोग करने की धमकी देता है 6) अश्लील साहित्य के प्रयोजनों एवं यौन संतुष्टि के लिए बच्चे को फुसलाता या लुभाता है तो वह लैंगिक उत्पीड़न (सेक्सुयल हैरसमेंट) का अपराध करता है|	**धारा 12** 3 साल तक की सजा और जुर्माना

धारा 13 **अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग** अगर कोई व्यक्ति यौन सुख पाने के लिए किसी बालक का प्रयोग पोर्नोग्राफी (अश्लील साहित्य, चलचित्र या चित्र) के लिए करता है, तो ऐसा व्यक्ति किसी बालक का अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के अपराध का दोषी होगा| पोर्नोग्राफिक उद्देश्य, जैसे कि– • टी०वी० चैनल • विज्ञापन • इंटरनेट किसी इलेक्ट्रॉनिक या मुद्रित प्रारूप (प्रिंटेड फॉर्मेट) द्वारा प्रसारित कार्यक्रम या विज्ञापन (चाहे ऐसे कार्यक्रम या विज्ञापन का आशय व्यक्तिगत उपयोग या वितरण के लिए हो या नहीं)	**धारा 14** पहले अपराध पर पाँच साल तक की सजा और जुर्माना; दुबारा वही अपराध करने पर 7 साल तक की सजा और जुर्माना
धारा 15 **पोर्नोग्राफी (अश्लील साहित्य, चलचित्र या चित्र) सामग्री का संग्रह** जो कोई भी व्यक्ति 1) ऐसी किसी भी अश्लील सामग्री को जमा करते हैं या अपने पास रखते हैं, जिसमें बच्चा शामिल है और उस सामग्री को हटाने, नष्ट करने या रिपोर्ट करने में विफल रहते हैं; या 2) जो कोई भी सामग्री को आगे प्रेषित करने या उसका प्रचार करने के लिए सामग्री जमा करते हैं, या 3) व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए अश्लील साहित्य को जमा करते हैं, तो वह पोर्नोग्राफी (अश्लील साहित्य, चलचित्र या चित्र) सामग्री के संग्रह का अपराध करते हैं|	**धारा 16** 1) पहले अपराध पर 5,000 रुपए का जुर्माना और दूसरे अथवा उसके बाद अपराध किए जाने पर 10, 000 रुपए का जुर्माना 2) जुर्माने के साथ-साथ तीन साल तक के कारावास की सज़ा 3) पहले अपराध पर तीन से पाँच साल तक की सजा; दुबारा वही अपराध करने पर 7 साल तक की सजा
धारा 17 **किसी अपराध के लिए उकसाना** – उपरोक्त किसी भी अपराध के लिए उकसाना भी एक अपराध है| यदि कोई दुष्प्रेरित काम उकसाने के बाद किया जाता है, तो यह दंडनीय है	उस सज़ा के लिए दंडित किया जाएगा, जो उस अपराध के लिए प्रदान की गई है

धारा 18 किसी अपराध को करने का प्रयास – जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने का प्रयास करता है या किसी अपराध को करवाता है और ऐसे प्रयास में अपराध करने हेतु कोई कार्य करता है, तो यह दंडनीय है	ऐसी अवधि के लिए कारावास, जो आजीवन कारावास के आधे तक का हो सकेगा या उस अपराध के लिए निर्धारित कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक का हो सकेगा या जुर्माने से अथवा दोनों से दंडित
धारा 21 – इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत होने वाले किसी अपराध की सूचना नहीं देना	छह महीने तक के कारावास और/ या जुर्माने से दंडित किया जाएगा
धारा 22 – कोई व्यक्ति, जो धारा 3 (प्रवेशन लैंगिक हमला), धारा 5 (गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला), धारा 7 (लैंगिक हमला, धारा 9 (गुरुतर लैंगिक हमला) के अधीन किये गए किसी अपराध के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसको अपमानित करने, धमकाने या उसकी मानहानि करने के उद्देश्य से उसके बारे में झूठ बोलेगा या झूठी सूचना देगा i. यदि झूठी शिकायत दर्ज करने वाला व्यक्ति बच्चा है, तो ऐसे बच्चे पर कोई दंड नहीं लगाया जाएगा ii. जो कोई बालक नहीं होते हुए भी, किसी बालक के विरुद्ध कोई झूठी बात बोलेगा या यह जानते हुए भी कि उसकी सूचना झूठी है, वह यह झूठी सूचना देगा, जिसके कारण इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध में ऐसा बालक पीड़ित होगा, दंडनीय है।	छह मास तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित ऐसा व्यक्ति एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा
धारा 23 – कोई व्यक्ति, जो बालक के संबंध में किसी भी प्रकार की रिपोर्ट या टीका-टिप्पणी करता है, जिससे बच्चे की प्रतिष्ठा का हनन या उसकी गोपनीयता का उल्लंघन होता है या मीडिया की किसी भी रिपोर्ट से बच्चे की पहचान, जैसे कि – नाम, पता, चित्र, पारिवारिक विवरण, विद्यालय, पड़ोस या अन्य किसी भी विवरण का खुलासा होता है,	छह मास से एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित

नोट

इस अधिनियम के तहत सभी अपराधों को गंभीर अपराध माना जाता है| ऐसे अपराध गैर-जमानती और संज्ञेय हैं|

मीडिया के लिए प्रक्रिया (धारा 23)

मीडिया को रिपोर्ट करने के लिए मीडिया, स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता

मीडिया, होटल, लॉज अस्पताल, क्लब, स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी विषयों पर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति यदि पाता है कि किसी भी वस्तु, सामग्री या किसी भी माध्यम से किसी बच्चे का यौन शोषण हो रहा है, तो वह उसकी जानकारी विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस को कराएगा| बच्चों के समुचित विकास तथा उसके सम्मान को बनाए रखने के लिए न्यायिक प्रक्रिया के सभी चरणों में उसकी गोपनियता के अधिकार को सुरक्षित करना जरूरी है| यह आवश्यक है कि –

1. बालक के संबंध में किसी भी प्रकार की रिपोर्ट या टीका-टिप्पणी, जिससे बच्चे की प्रतिष्ठा का हनन या उसकी गोपनीयता का उल्लंघन होता है, मीडिया को पूर्ण और प्रमाणिक जानकारी के बिना किसी भी रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए|

2. मीडिया की किसी भी रिपोर्ट से बच्चे की पहचान, जैसे कि – नाम, पता, चित्र, पारिवारिक विवरण, विद्यालय, पड़ोस या अन्य किसी भी विवरण का खुलासा नहीं होना चाहिए, जब तक कि मामले के विचारण के अधीन सक्षम न्यायालय द्वारा बच्चे के हित में ऐसा करने की अनुमति न दी जाए|

बालक का बयान दर्ज किये जाने के लिए प्रक्रिया

पुलिस द्वारा बच्चे का बयान दर्ज किया जाना (धारा 24)

i. बच्चे के बयान को उसके घर पर ही या उसकी सुविधा के स्थान पर एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा, जो उपनिरीक्षक के पद से नीचे नहीं होगी, रिकॉर्ड किया जाएगा| लड़के के मामले में पुलिस अधिकारी भी हो सकता है|

ii. बच्चे की बात को रिकॉर्ड करते समय पुलिस पदाधिकारी वर्दी में नहीं होगा

iii. जांच अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी समय या किसी भी प्रकार से अभियुक्त बालक के संपर्क में नहीं आए|

iv. किसी भी बच्चे को किसी भी परिस्थिति में रात को थाने में नहीं रखा जाएगा|

v. पुलिस अधिकारी ध्यान रखेगा कि बच्चे की पहचान जनता और मीडिया में जाहिर न हो तथा न्यायालय की आज्ञा के बिना बच्चे के संबंध में जानकारी नहीं दी जाएगी|[1]

न्यायाधीश द्वारा बच्चे का बयान दर्ज किया जाना (धारा 25)

न्यायाधीश बच्चे द्वारा बोले अनुसार ही बयान दर्ज करेगा|

---

1 किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 74 के अनुसार, "किसी भी समाचार-पत्र, पत्रिका या ऑडियो-विडियो मीडिया या अन्य किसी संवाद के माध्यम द्वारा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे अथवा पीड़ित या साक्षी बच्चे के संबंध में जांच, अन्वेक्षण या न्यायिक कार्यवाही के तहत बच्चे की पहचान; जैसे कि बच्चे का नाम, पता या फोटो या अन्य किसी भी विवरण को उजागर/प्रकाशित करने का निषेध है| बच्चे की पहचान को प्रकट करने वाले व्यक्ति को छह माह तक की सज़ा अथवा 1 लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा|

बच्चे का बयान दर्ज करने के लिए अतिरिक्त प्रावधान (धारा 26)

1. न्यायाधीश या पुलिस अधिकारी बच्चे का बयान बच्चे के माता-पिता या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति, जिस पर बच्चे को भरोसा है, की मौजूदगी में दर्ज करेंगे|

2. जहां भी आवश्यक हो, न्यायाधीश या पुलिस अधिकारी एक अनुवादक या एक दुभाषिये की सहायता ले सकता है|

3. अगर बच्चा सुनने, बोलने, देखने आदि में असमर्थ हो, तो ऐसे में विशेष शिक्षक से मदद ली जाएगी, जो बच्चे की बात समझ सके|

जहां संभव हो, वहाँ न्यायाधीश या पुलिस अधिकारी सुनिश्चित करे कि बालक के कथन को श्रव्य-दृश्य माध्यम से सहायक व्यक्ति की उपस्थिति में रिकॉर्ड किया जाएगा|

बालक की चिकित्सीय परीक्षा (धारा 27)

i. जिस बालक के साथ यौन अपराध हुआ है, उसकी चिकित्सीय जांच होनी चाहिए, चाहे एफ0आई0आर0 की गई हो अथवा नहीं|

ii. अगर पीड़ित व्यक्ति बच्ची है, तो मेडिकल जांच महिला डॉक्टर द्वारा की जाएगी|

iii. बच्चे की मेडिकल जांच माता-पिता या अभिभावक की उपस्थिती में की जाएगी| अगर ये उपलब्ध नहीं हैं, तो उस व्यक्ति की उपस्थिति में मेडिकल जांच होगी, जिस पर बच्चे को विश्वास हो|

iv. बालक की चिकित्सा जांच के दौरान अगर बच्चे के माता-पिता या भरोसेमंद व्यक्ति उपस्थित नहीं हो सकते, तो चिकित्सीय जांच चिकित्सीय संस्था के प्रमुख द्वारा निर्दिष्ट किसी महिला की उपस्थिति में की जाएगी|

विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जाना (धारा 28)

अपराधों का विचारण जल्द से जल्द हो सके, इस हेतु राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए सेशन न्यायालय को, जो एक विशेष न्यायालय होगी, निर्दिष्ट करेगी|

परंतु यदि कोई व्यक्ति सेशन न्यायालय, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 या उस समय लागू किसी अन्य कानून के अधीन, पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने का प्रयत्न कर रहा है, तब इसी तरह के उद्देश्यों के विचारण के लिए नामित न्यायालय विशेष न्यायालय समझा जाएगा|

इस अधिनियम के तहत गठित विशेष अदालत को उन मामलों पर विचारण करने का अधिकार होगा, जिनमें किसी भी तरह के कृत्य, व्यवहार या रीति से बालक का ऑनलाइन दुरुपयोग किया जाता है|

उपधारणा (धारा 29)

कुछ अपराधो के बारे में अनुमान

यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मामला किसी बच्चे के खिलाफ यौन अपराध को करने अथवा करने के लिए उकसाने के प्रयास का है, तो विशेष अदालत यह अनुमान लगाएगा कि व्यक्ति ने अपराध किया है, जब तक कि उसके विरुद्ध अपराध साबित नहीं हो जाता|

आपराधिक मन:स्थिति का अनुमान (धारा 30)– विशेष अदालत यह अनुमान लगायेगा कि अपराधी को अपराध का ज्ञान था तथा उसका इरादा और मकसद ऐसा करना था, जब तक कि उसके विरुद्ध यह साबित नहीं हो जाता कि उसकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं थी|

विशेष लोक अभियोजक (धारा 32)

i. राज्य सरकार मामलों का सञ्चालन करने के लिए प्रत्येक न्यायालय में एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी|

ii. कोई व्यक्ति विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए तभी पात्र होगा, जब किसी अधिवक्ता के रूप में उसने कम से कम 7 वर्ष तक काम किया हो|

विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां (धारा 33)

1. कोई विशेष न्यायालय ऐसा अपराध होने की शिकायत प्राप्त होने पर या ऐसे अपराध की पुलिस रिपोर्ट पर किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकेगा|

2. आरोपी की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक (स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर) या वकील बालक की मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा या पुनर्परीक्षा करते समय बालक से पूछे जाने वाले प्रश्न विशेष न्यायालय को संसूचित करेगा, जो पुन: उन प्रश्नों को बालक के समक्ष रखेगा|

3. विशेष न्यायालय, यदि आवश्यक समझे तो, विचारण के दौरान बार-बार बच्चे को विराम की अनुमति दे सकता है|

4. विशेष न्यायालय बालक के परिवार के किसी सदस्य, संरक्षक, मित्र या रिश्तेदार, जिसमें बालक अपना भरोसा रखता है, न्यायालय में उपस्थित होने की अनुमति देकर, बालक के लिये मित्रतापूर्ण वातावरण पैदा करेगा|

5. विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक को अदालत में गवाही देने के लिये बार-बार नहीं बुलाया जायेगा|

6. विशेष न्यायालय विचारण के दौरान बच्चे से आक्रामक या चरित्र हनन संबंधी प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी समय बालक की गरिमा बनाए रखी जाये|

7. विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि जाँच या परीक्षण के दौरान, किसी भी समय बच्चे की पहचान प्रकट नहीं की गई है|

8. बच्चे की पहचान का खुलासा करने की अनुमति अदालत द्वारा दी जा सकती है, यदि यह बच्चे के हित में है|

स्पष्टीकरण: बच्चे की पहचान में बच्चे के कुटुंब, विद्यालय, नातेदार, पड़ोसी या कोई अन्य सूचना, जिसके द्वारा बच्चे की पहचान का पता चल सकता है, शामिल होंगे|

9. समुचित मामलों में, विशेष न्यायालय बच्चों के साथ होने वाले किसी भी शारीरिक और मानसिक आघात के लिये, सजा के अलावा उचित मुआवजे के प्रत्यक्ष भुगतान का निर्देश दे सकेगा, जिससे बच्चे के तत्काल पुनर्वास की व्यवस्था हो सके|

10. विशेष न्यायालय के पास किसी अपराध के विचारण के लिये सेशन न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और यदि विलंब होता है, तो विशेष न्यायालय द्वारा उसका कारण दर्ज किया जायेगा|

साक्ष्य का अभिलेखन (धारा 35)

बच्चे के साक्ष्य को दर्ज करने तथा मामले का निपटारा करने के लिए अवधि

i. बच्चे के साक्ष्य को विशेष अदालत द्वारा मामले का साक्ष्य लिये जाने के 30 दिन के भीतर दर्ज किया जायेगा|

ii. विशेष न्यायालय, यथा संभव, अपराध का संज्ञान लिए जाने की तारीख से एक साल के भीतर विचारण को पूरा करेगा|

बालक का अभियुक्त को न दिखाना (धारा 36)

i. विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चे के किसी भी प्रकार के सबूत को दर्ज करते समय उसे अभियुक्त के सामने प्रदर्शित नहीं किया गया है तथा उसी समय यह सुनिश्चित करेगा कि अभियुक्त उस बालक का कथन सुनने और अपने वकील के साथ बात करने की स्थिति में है|

ii. विशेष न्यायालय बच्चे के बयान विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से या परदे या ऐसी ही किसी अन्य युक्ति का उपयोग करके दर्ज कर सकेगा|

विचारण का बंद कमरे में सञ्चालन (धारा 37)

i. विशेष अदालत मामलों का विचारण बंद कमरे में और बालक के माता-पिता या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में करेगा, जिस पर बालक को विश्वास या भरोसा है|

अधिनियम के क्रियान्वन की निगरानी (मॉनीटरी)

अधिनियम का ढंग से अनुपालन हो, इस हेतु इसकी निगरानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के माध्यम से की जाती है|

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन०सी०पी०सी०आर०) को बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए मार्च 2007 में बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत सांविधिक (कानूनी) निकाय के रूप में गठित किया गया है|

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन०सी०पी०सी०आर०) और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एस०सी०पी०सी०आर०) को निम्न अधिनियमों - **किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012** तथा **निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, 2009** के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिये नामित प्राधिकरण बनाया गया है|
- **पोक्सो सेल** - लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 44 द्वारा अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी|

विधि व्यवसायी की सहायता लेने के लिये बालक का अधिकार

<u>विशेषज्ञ की सहायता लेने हेतु बालक के लिए दिशा-निर्देश (धारा 39)</u>

राज्य सरकार, बच्चे की सहायता करने हेतु गैर सरकारी संगठनों, पेशेवरों और विशेषज्ञों या ऐसे व्यक्तियों, जिनके पास मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, मानसिक स्वास्थ्य और बाल विकास का ज्ञान है, के लिये मार्ग-निर्देश तैयार करेगी|

<u>विधि व्यवसायी की सहायता लेने के लिये बालक का अधिकार (धारा 40)</u>

बालक का कुटुंब या संरक्षक किसी अपराध के लिए अपनी पसंद के विधिक काउंसेल की सहायता लेने के अधिकारी होंगे| परन्तु यदि बालक का कुटुंब या संरक्षक विधिक काउंसेल का खर्चा उठाने में असमर्थ है, तो विधिक सहायता प्राधिकरण उन्हें वकील उपलब्ध करायेगा|

अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता (धारा 43)

केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी कि –

i. साधारण जनता, बालकों के साथ ही उनके माता-पिता और संरक्षकों को इस अधिनियम के उपबंधों के प्रति जागरूक बनाने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों का मीडिया, जिसके अंतर्गत टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया भी सम्मिलित है, के माध्यम से नियमित अंतरालों पर व्यापक प्रचार किया जाता है|
ii. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों (जिनमें पुलिस अधिकारी भी सम्मिलित हैं) को अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन से संबंधित विषयों पर समय-समय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है|

NOTES

SATYARTHI

KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

मुख्य कार्यालय: ए -23, फ्रेंड्स कॉलोनी (वेस्ट), नई दिल्ली -110065
फोन: 011 475111111 | ई-मेल: info@satyarthi.org.in | वेबसाईट: www.satyarthi.org.in

बाल शोषण के खिलाफ शिकायत करें

1800-102-7222 (Toll-Free)